

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्रीगजाल विपक्षी चैनपुरी
 मुकदमा वा 5 पत्रावली संख्या 226/11 सन्

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>14/12/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी मथ गवाह भु.। अधि. प्रतिवादी मथ। अधि. वारी को परामर्श देकर जमाने पर भी गवाह उपस्थित नहीं रहे। अधि. न्यायक्षेत्र के अंतर्गत अधिवक्ता जाकर आवाह किया जाता है कि आवाही पेशी पर गवाह भावश्यक रूप से उपस्थित रहे। फिर भावश्यक रूप से की जायेगी। पत्रावली वाले आदेशों/पत्रों दिनांक 12/02/24 को पेश हैं।</p>	
	<p>12/02/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी मथ व अधिवक्ता प्रतिवादी मथ प्रतिवादी सं. 1, 2 अनुपस्थित। अधिवक्ता मथ उभय पक्षकारान को आवाजे दिलवाई गई। समय सांघ 5:00PM हो चुके हैं। अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता मथ वारी अनुपस्थित रहने पर वारी का वाद एवं अधिवक्ता मथ प्रतिवादी सं. 1, 2 अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1, 2 का प्रतिवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में आविज किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत नम्बर लेकर नम्बर से कम हैं।</p>	



सहायक कलक्टर (SDO) मावली

